संख्या-47/2017/1014/सैंतीस-2-2017-1(21)/12

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 जून, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-84/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2017-18, दिनांक-16.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-37/2017/769/सैंतीस-2-2017-1(21)/12, दिनांक-12.06.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-736.76 लाख (रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश मानक मद 03-मंहगाई भत्ते के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से अधिक की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो गयी है। अतः त्रुटिपूर्ण होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्गत उपरोक्त शासनादेश संख्या-37/2017/769/सैंतीस-2-2017-1(21)/12, दिनांक-12.06.2017 (संलग्नक सहित) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-47/2017/1014(1)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in